न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 76 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.मांगीलाल पुत्र हीराराम 02.रमेश पुत्र हीराराम 03.सुरेश पुत्र हीराराम 04.सुगना पत्नी हीराराम 05.सरिता पुत्री हीराराम 06.सुनिल पुत्र खंगारराम 07.विकास पुत्र खंगारराम 08.मन्जु पुत्री खंगारराम 09.शारदा पत्नी खगारराम 10.पूनाराम पुत्र दुर्गाराम 11.सुखाराम पुत्र दुर्गाराम जाति विश्नोई निवासीगण डेलूम्बा नाडा झँवर तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.श्रीमती गंगादेवी पुत्री रतनाराम पत्नी श्रीराम जाति विश्नोई निवासी डेलूम्बा नाडा झँवर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –
1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई उपस्थित
2. अप्रार्थी सख्या एक की ओर से अधिवक्ता रामसुख शर्मा उपस्थित।
3. अप्रार्थी सख्या दो की और से राजकीय पैरोकार।

आदेश

दिनांक :– 1/3/2021

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि मे खसरा नम्बर 1463 रकबा 12 बीधा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 1464 रकबा 12 बीधा 6 बिस्वा ग्राम डेलुम्बा नाडा झँवर तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है जिसके पडोस मे ही खसरा नम्बर 1460 रकबा 29 बीधा 3 बिस्वा अप्रार्थी सख्या एक की भूमि आई हुई है जिसके आगे मुख्य सडक चल रही है तथा प्रार्थीगण को सडक तक पहुचने हेतु व अपने खेत तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 1460 मे से आना जाना पडता है लेकिन अप्रार्थी सख्या एक उसमे दखलअंदाजी कर रहे है नजरी नक्शा के अनुसार दर्शाए गए भाग ए से बी को रास्ते के रूप मे घोषित किया जावे ताकि प्राथीगण को खसरा नम्बर 1460 मे से 30 फुट चौडा रास्ता नियमानुसार दिया जावे इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए बाद तामिल प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए लेकिन उनके द्वारा किसी तरह का जवाब पेश नही किया गया जिस पर प्रार्थी के जवाब को बन्द किया गया मौका कमिश्नर रिपोर्ट तहसीलदार लूणी से तलब की गई जो रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक द्वारा तैयार कर कमाक–/भू0अ/2020/4572 दिनाक 27.02.2020 को न्यायालय मे पेश की गई थी मौका रिपोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

खसरा नम्बर 1463 व 1463 मे आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा मौके पर मकान व ढाणी को छोडते हुए रास्ता दिया जाना उचित है जिसके तहत 560 फुट लम्बा व चौडाई मे 30 फुट रास्ता यानी कुल 16800 वर्ग फिट का रास्ता लधुतम व अति आवश्यक रास्ता है जो नजरी नक्शे मे दिखाया गया है तथा जिस रिपोर्ट पर भी किसी तरह की आपति न्यायालय मे प्रस्तुत नही की गई मौका कमिश्नर रिपोर्ट को शमिल पत्रावली किया गया बहस सुनी गई पत्रावली मे उपलब्ध समस्त दस्तावेजा का मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1463 व 1464 मे आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट मे खसरा नम्बर 1460 मे से उनके मकान व ढाणियों को छोडते हुए रास्ता दर्शाया गया है जो लधुतम है चूँकि मौका रिपोर्ट मे रास्ता 30 फुट दर्शाया गया है जबकि मौके पर 20 फुट रास्ता दिया जाना ही उचित प्रतीत होता है।

अतः– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1460 मे से नजरी नक्शे के अनुसार लम्बाई मे 560 फीट तथा चौडाई मे 30 फीट का रास्ता यानी कुल 16800 वर्ग फीट क्षेत्रफल का रास्ता दिया जाना स्वीकृत किया जाता है मौका कमिश्नर रिपोर्ट मे नजरी नक्शा तथा प्रार्थना पत्र के सलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग समझा जावे तथा रास्ता घोषित किया जाता है डीएलसी 243000 दर के अनुसार खसरा नम्बर 1460 मे से ली जा रही भूमि को दुगनी डीएलसी राशि रूप्ये 379344 बनती है जिसकी दुगनी राशि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को जरिये चैक/डीडी द्वारा तहसीलदार लूणी प्रदान करे। जो राशि प्रार्थीगण चैक/डीडी तैयार कर तहसीलदार लूणी को प्रस्तुत करे तहसीलदार लूणी रास्ते हेतु घोषित की गई उपरोक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे अमल बरामद कर नक्शे मे तरमीम कर पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लूणी के नाम से जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। निर्णय आज दिनाक 1/3/2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैशल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, (जोधपुर)